भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA.No. 01 /2023

No. 2023/BC-AP-1.9/17/20-21 **New Delhi, Dated : /02/2023**

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/PUs .

Sub: Recoveries at the instance of Audit.

Kindly refer to Board's instructions issued from time to time requesting the Railways/PUs to tighten the internal check mechanisms to prevent recurrence of lapses leading to recoveries pointed out by Audit. In this regard the overall position of recoveries for the year 2019-20 and 2020-21 is indicated below:

(Rs. in Crores)

S.No.	Railways	2019-20	2020-21
1	Central	2.21	.60
2	Eastern	3.58	4.09
3	East Central	7.23	.43
4	East Coast	1.25	3.01
5	Northern	11.3	9.69
6	North Central	.56	2.51
7	North Eastern	10.73	25.24
8	Northeast Frontier	2.07	8.2
9	North Western	1.81	6.89
10	Southern (including ICF)	3.05	9.13
11	South Central	5.73	6.92
12	South Eastern	11.92	4.17
13	South East Central	2.47	2.63
14	South Western	12.24	12.21
15	Western	2.87	2.6
16	West Central	2.98	1.08
17	Metro		.0077
18	CLW		2.64
19	BLW		.83

The overall recoveries agreed by zonal Railways/PUs as reported in the C&AG's Report for year ended March' 2021 have increased to Rs. **114.27 Cr** from Rs **81.99 Cr** reported that for year ended March' 2020.

The position may be reviewed to streamline systems. Instances of short collection/ overpayments may be examined to list out the causes of recurring deficiencies and suitable guidelines issued to all concerned as to prevent recurrence thereof in future.

Further, special checks/ inspections may be conducted to ensure complete recoveries of undercharges/ overpayments as pointed out by Audit, from staff/ parties concerned.

Roopa 7/2

(Roopa Srinivasan)
Principal Executive Director (Accounts)
Railway Board

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 01/2023
नई दिल्ली, दिनांक: .02.2023

सं. 2023/बीसी-एपी-1.9/17/20-21

प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: लेखा परीक्षा की पहल पर वसूलियां।

कृपया बोर्ड के समय-समय पर जारी अनुदेशों का अवलोकन करें, जिनमें रेलों/उत्पादन इकाइयों से आंतरिक जांच तंत्र को कड़ा करने का अनुरोध किया गया है ताकि लेखापरीक्षा (ऑडिट) द्वारा इंगित वसूलियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वसूलियों की समग्र स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रेलवे	2019-20	2020-21
1	मध्य	2.21	.60
2	पूर्व	3.58	4.09
3	पूर्व मध्य	7.23	.43
4	पूर्व तट	1.25	3.01
5	उत्तर	11.3	9.69
6	उत्तर मध्य	.56	2.51
7	पूर्वोत्तर	10.73	25.24
8	पूर्वोत्तर सीमा	2.07	8.2
9	उत्तर पश्चिम	1.81	6.89
10	दक्षिण (आईसीएफ सहित)	3.05	9.13
11	दक्षिण मध्य	5.73	6.92
12	दक्षिण पूर्व	11.92	4.17
13	दक्षिण पूर्व मध्य	2.47	2.63
14	दक्षिण पश्चिम	12.24	12.21
15	पश्चिम	2.87	2.6
16	पश्चिम मध्य	2.98	1.08
17	मेट्रो		.0077
18	सीएलडब्ल्यू		2.64
19	बीएलडब्ल्यू		.83

मार्च, 2021 के समापन वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा सहमत समग्र वसूली मार्च 2020 के समापन वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए 81.99 करोड़ रु. से बढ़कर 114.27 करोड़ रु. हो गई है।

सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाए। बार-बार होने वाली चूकों के कारणों को सूचीबद्ध करने के लिए लघु संग्रहण/अधिक भुगतान के मामलों की जांच की जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए कम प्रभारों/अधिक भुगतान के संबंधित स्टाफ/संबंधित पार्टियों से पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांचें/निरीक्षण किए जाए।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक (लेखा)
रेलवे बोर्ड